2019 का विधेयक संख्यांक 188

[दि रिपीलिंग एंड अमेंडिंग बिल, 2019 का हिन्दी अनुवाद]

निरसन और संशोधन विधेयक, 2019

कतिपय अधिनियमितियों का निरसन और कतिपय अन्य अधिनियमितियों का संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :--

संक्षिप्त नाम ।

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम निरसन और संशोधन अधिनियम, 2019 है ।

कतिपय अधिनियमितियों का निरसन ।

2. पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट अधिनियमितियों को इसके द्वारा निरसित किया जाता है ।

कतिपय अधिनियमितियों का संशोधन ।

3. दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट अधिनियमितियों को इसके द्वारा उसके चौथे स्तंभ में विनिर्दिष्ट विस्तार तक तथा रीति से संशोधित किया जाता है ।

व्यावृत्तियां ।

4. किसी अधिनियमिति का इस अधिनियम द्वारा निरसित किया जाना, किसी अन्य ऐसी अधिनियमिति को प्रभावित नहीं करेगा जिसमें निरसित अधिनियमिति को लागू, सम्मिलित या निर्दिष्ट किया गया है ;

और इस अधिनियम का प्रभाव, पहले की गई या हुई किसी बात या पहले से अर्जित, प्रोद्भूत या उपगत किसी अधिकार, हक, बाध्यता या दायित्व अथवा उसके संबंध में किसी उपचार या कार्यवाही या किसी ऋण, शास्ति, बाध्यता, दायित्व, दावे या मांग के या उससे कोई निर्मोचन या उन्मोचन या पहले से अनुदत्त किसी क्षतिपूर्ति या किसी पूर्व कार्य या बात के सबूत की विधिमान्यता, अविधिमान्यता, उसके प्रभाव या परिणामों पर नहीं पड़ेगा ;

और न ही, इस अधिनियम का प्रभाव विधि के किसी सिद्धान्त या नियम या स्थापित अधिकारिता, अभिवचन के प्ररूप या अनुक्रम, पद्धति या प्रक्रिया, या विद्यमान प्रथा, रूढ़ि, विशेषाधिकार, निर्बंधन, छूट, पद या नियुक्ति पर किसी भी बात के होते हुए भी कि नहीं पड़ेगा कि वह इसके द्वारा निरसित किसी अधिनियमिति द्वारा, उसमें या उससे किसी रीति से क्रमशः पुष्ट या मान्य या व्युत्पन्न हुआ हो ;

और न ही, इस अधिनियम द्वारा किसी अधिनियमिति के, जो अब विद्यमान या प्रवृत्त नहीं है, निरसन से कोई अधिकारिता, पद, रूढ़ि, दायित्व, अधिकार, हक, विशेषाधिकार, निर्बंधन, छूट, प्रथा, पद्धति, प्रक्रिया या अन्य विषय या बात पुनरुज्जीवित या प्रत्यावर्तित होगी ।

पहली अनुसूची

(धारा 2 देखें)

निरसन

वर्ष	अधिनियम संख्यांक	संक्षिप्त नाम
(1)	(2)	(3)
1850	12	लोक लेखापाल चूक अधिनियम, 1850
1881	11	नगरपालिका कराधान अधिनियम, 1881
1892	10	प्राइवेट संपदा सरकारी प्रबंध अधिनियम, 1892
1956	69	रेल यात्री सीमा कर अधिनियम, 1956
1958	56	हिमाचल प्रदेश विधान सभा (गठन और कार्यवाहियां) विधिमान्यकरण अधिनियम, 1958
1960	22	कपास परिवहन (संशोधन) अधिनियम, 1960
1963	1	हिन्दी साहित्य सम्मेलन (संशोधन) अधिनियम, 1963
1963	35	नाट्य प्रदर्शन (दिल्ली निरसन) अधिनियम, 1963
1964	10	लोक नियोजन (निवास के रूप में अपेक्षा) संशोधन अधिनियम, 1964
1968	49	दिल्ली और अजमेर किराया नियंत्रण (नसीराबाद कैंटोनमेंट निरसन) अधिनियम, 1968
1973	56	एलकाक एशडाउन कंपनी लिमिटेड (उपक्रमों का अर्जन) अधिनियम, 1973
1976	55	लौह-अयस्क खान, मैंगनीज-अयस्क खान और क्रोम-अयस्क खान श्रम कल्याण उपकर अधिनियम, 1976
1976	61	लौह-अयस्क खान, मैंगनीज-अयस्क खान और क्रोम-अयस्क खान श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1976
1976	62	बीड़ी कर्मकार कल्याण निधि अधिनियम, 1976
1980	68	चाय (संशोधन) अधिनियम, 1980
1981	62	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 1981
1982	63	सड़क परिवहन निगम (संशोधन) अधिनियम, 1982
1983	41	ट्रांसफार्मर एंड स्विचगियर लिमिटेड (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1983
1988	22	तमिलनाडु कृषि सेवा सहकारी सोसाइटी (विशेष अधिकारियों की नियुक्ति) संशोधन अधिनियम, 1988
1999	3	उच्च मूल्य बैंक नोट (विमुद्रीकरण) संशोधन अधिनियम, 1998
2001	39	मोटर यान (संशोधन) अधिनियम, 2001
2001	48	रजिस्ट्रीकरण और अन्य संबंधित विधियां (संशोधन) अधिनियम, 2001
2002	16	प्रौद्योगिकी संस्थान (संशोधन) अधिनियम, 2002
2002	43	दिल्ली विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2002
2007	3	डालमिया दादरी सीमेंट लिमिटेड (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) संशोधन अधिनियम, 2006
2007	28	केंद्रीय सड़क निधि (संशोधन) अधिनियम, 2007

(1)	(2)	(3)
2009	21	धन-शोधन निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2009
2009	22	केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (संशोधन) अधिनियम, 2009
2009	38	केंद्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2009
2010	3	नागरिक सुरक्षा (संशोधन) अधिनियम, 2009
2011	6	बन्दी संप्रत्यावर्तन (संशोधन) अधिनियम, 2011
2011	14	सीमाशुल्क (संशोधन और विधिमान्यकरण) अधिनियम, 2011
2012	28	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (संशोधन) अधिनियम, 2012
2012	34	प्रौद्योगिकी संस्थान (संशोधन) अधिनियम, 2012
2014	8	राज्यपाल (उपलब्धियां, भत्ते और विशेषाधिकार) संशोधन अधिनियम, 2014
2014	9	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (संशोधन) अधिनियम, 2014
2014	19	आंध्र प्रदेश पुनर्गठन (संशोधन) अधिनियम, 2014
2014	20	भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2014
2014	31	वाणिज्य पोत परिवहन (संशोधन) अधिनयम, 2014
2014	32	वाणिज्य पोत परिवहन (दूसरा संशोधन) अधिनयम, 2014
2014	39	दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र विधि (विशेष उपबंध) दूसरा (संशोधन) अधिनियम, 2014
2015	2	सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभागियों की बेदखली) संशोधन अधिनियम, 2015
2015	3	मोटर यान (संशोधन) अधिनियम, 2015
2015	5	बीमा विधि (संशोधन) अधिनियम, 2015
2015	10	खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2015
2015	12	आंध्र प्रदेश पुनर्गठन (संशोधन) अधिनियम, 2015
2015	14	प्रादेशिक ग्रामीण बैंक (संशोधन) अधिनियम, 2015
2015	16	भाण्डागारण निगम (संशोधन) अधिनियम, 2015
2015	21	कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 2015
2016	10	निर्वाचन विधि (संशोधन) अधिनियम, 2016
2016	13	उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्त) (संशोधन) अधिनियम, 2016
2016	25	खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2016
2016	42	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (संशोधन) अधिनियम, 2016
2016	45	केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2016
2016	48	कराधान विधि (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 2016
2017	19	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (संशोधन) अधिनियम, 2017
2017	21	सांख्यिकीय संग्रहण (संशोधन) अधिनियम, 2017
2017	25	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (संशोधन) अधिनियम, 2017

दूसरी अनुसूची

(धारा 3 देखें)

संशोधन

वर्ष	अधिनियम संख्यांक	संक्षिप्त नाम	संशोधन
(1)	(2)	(3)	(4)
1961	43	आय-कर अधिनियम, 1961	हिन्दी पाठ में संशोधन की आवश्यकता नहीं है ।
2017	33	भारतीय प्रबंध संस्थान अधिनियम, 2017	(i) हिन्दी पाठ में संशोधन की आवश्यकता नहीं है । (ii) हिन्दी पाठ में संशोधन की आवश्यकता नहीं है ।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

यह विधेयक उन आवधिक उपायों में एक आवधिक उपाय है जिसके द्वारा उन अधिनियमितियों का, जो प्रवर्तन में नहीं रह गई हैं या अप्रचलित हो गई हैं या जिनका प्रतिधारण पृथक अधिनियमों के रूप में अनावश्यक हो गया है, निरसन किया जाता है या जिनके द्वारा अधिनियमितियों में पाई गई प्ररूपिक त्रुटियों का सुधार किया जाता है ।

2. अनुवर्ती टिप्पण विधेयक की उन मदों में, जिनके संबंध में कुछ विस्तृत स्पष्टीकरण आवश्यक हैं, सुझाए गए संशोधनों के लिए कारणों को स्पष्ट करते हैं ।

3. विधेयक के खंड 4 में व्यावृत्ति खंड के रूप में पूर्वावधानिक उपबंध अंतर्विष्ट है जो इस प्रकार के विधेयक में प्रायः सम्मिलित किए जाने के लिए है ।

नई दिल्ली ;
22 जुलाई, 2019

रवि शंकर प्रसाद

दूसरी अनुसूची पर टिप्पण

1. आयकर अधिनियम, 1961 - अधिनियम का प्रस्तावित संशोधन प्रत्यक्ष गलतियों का सुधार करने के लिए है ।

2. भारतीय प्रबंध संस्थान अधिनियम, 2017 - अधिनियम के प्रस्तावित संशोधन उन भूलों का सुधार करने के लिए है जो उक्त अधिनियम में अनवधानता से हो गई थीं ।

उपाबंध

आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का अधिनियम संख्यांक 43) से उद्धरण

*   *   *   *   *

औद्योगिक उपक्रम के शहरी क्षेत्र से किसी विशेष आर्थिक जोन में स्थानान्तरण की दशा में आस्तियों के अंतरण पर पूंजी अभिलाभों की छूट।

54छक. (1) धारा 54छ में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां किसी पूंजी आस्ति के, जो किसी शहरी क्षेत्र में स्थित ऐसे औद्योगिक उपक्रम के कारबार के प्रयोजन के लिए प्रयुक्त मशीनरी या संयंत्र या भवन या भूमि या किसी भवन या भूमि पर कोई अधिकार है, अंतरण से उद्भूत पूंजी अभिलाभ पर, जो ऐसे औद्योगिक उपक्रम के किसी विशेष आर्थिक जोन में, चाहे वह किसी शहरी क्षेत्र में विकसित हुआ हो, या किसी अन्य क्षेत्र में अंतरण के अनुक्रम में या उसके परिणामस्वरूप हुआ है, और निर्धारिती ने उस तारीख से, जिसको अंतरण हुआ था, पहले एक वर्ष या उसके पश्चात् तीन वर्ष की अवधि के भीतर,--

*   *   *   *   *

स्पष्टीकरण—इस उपधारा में,—

(क) "विशेष आर्थिक जोन" का वही अर्थ है, जो विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28) की धारा 2 के खण्ड (यक) में है;

*   *   *   *   *

भारतीय प्रबंध संस्थान अधिनियम, 2017 (2017 का अधिनियम संख्यांक 33) से उद्धरण

*   *   *   *   *

परिभाषाएं।

3. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,--

*   *   *   *   *

(च) "निदेशक" से धारा 17 की उपधारा (2) के अधीन नियुक्त संस्थान का निदेशक अभिप्रेत है ;

*   *   *   *   *

अध्यादेश किस प्रकार बनाए जाएंगे।

36. (1) इस धारा में जैसा अन्यथा उपबंधित है, उसके सिवाय, अध्यादेश विद्या परिषद् द्वारा बनाए जाएंगे ।

*   *   *   *   *

MGIPMRND—1885LS(CRC)—22-7-2019.